**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2487**

**14 दिसम्बर, 2015 को उत्तर के लिए**

## निजी इस्पात कंपनियां

**2487. श्री एस. आर. विजय कुमार:**

**श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा सहित देश में वर्तमान में कार्यशील निजी इस्पात कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में नई इकाइयों की स्थापना करने के लिए किसी निजी इस्पात कंपनी को अनुमति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा और उनकी स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार किसी निजी इस्पात कंपनी का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)**

(क): वर्तमान में ओडिशा समेत देश में कार्यशील निजी इस्पात कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात यूनिट की स्थापना करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। निजी इस्पात कंपनियों का प्रशासनिक नियंत्रण इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, अतएव कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के संबंध में आंकड़े मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(ड.): जी नहीं। निजी इस्पात कंपनी का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

***

**अनुलग्नक**

**(लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2487 दिनांक 14.12.2015)**

| **निजी क्षेत्र** | | | |
|---|---|---|---|
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | |
| **राज्य** | **यूनिट्स** | **क्षमता ('000 टन में)** | **उत्पादन ('000 टन में)** |
| अरूणाचल प्रदेश | 1 | 74 | 11 |
| असम | 12 | 290 | 168 |
| बिहार | 42 | 1135 | 593 |
| झारखण्ड | 132 | 13944 | 11895 |
| मेघालय | 12 | 308 | 98 |
| ओडिशा | 101 | 11198 | 9169 |
| त्रिपुरा | 1 | 30 | 13 |
| पश्चिम बंगाल | 85 | 4937 | 5518 |
| **कुल पूर्वी क्षेत्र** | **386** | **31916** | **27465** |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | |
| छत्तीसगढ़ | 68 | 5996 | 5770 |
| दादर व नगर हवेली | 27 | 342 | 215 |
| दमन और दीव | 12 | 133 | 32 |
| गोवा | 20 | 716 | 471 |
| गुजरात | 60 | 10712 | 4833 |
| मध्य प्रदेश | 15 | 267 | 203 |
| महाराष्ट्र | 74 | 11648 | 10588 |
| **कुल पश्चिमी क्षेत्र** | **276** | **29814** | **22112** |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | |
| चंडीगढ़ | 3 | 97 | 42 |
| दिल्ली | 2 | 14 | 10 |
| हरियाणा | 15 | 859 | 1209 |
| हिमाचल प्रदेश | 20 | 620 | 557 |
| जम्मू व कश्मीर | 8 | 166 | 115 |
| पंजाब | 129 | 2780 | 2372 |
| राजस्थान | 64 | 1194 | 908 |
| उत्तर प्रदेश | 101 | 1904 | 1177 |
| उत्तराखंड | 20 | 1057 | 233 |
| **कुल उत्तरी क्षेत्र** | **362** | **8691** | **6623** |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | |
| आंध्र प्रदेश | 35 | 1600 | 858 |
| कर्नाटक | 27 | 11388 | 10381 |
| केरल | 39 | 638 | 1172 |
| पंडीचेरी | 18 | 506 | 261 |
| तमिलनाडु | 111 | 3429 | 2121 |
| तेलंगाना | 46 | 1441 | 782 |
| **कुल दक्षिणी क्षेत्र** | **276** | **19002** | **15575** |
| **कुल निजी खेत्र** | **1300** | **89423** | **71775** |
| स्रोत: जेपीसी | | | |